पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांक : 914 /मा0सं0एवंप्रा0अनु0/पिटकुल/पी-3 दिनांक : 13 .07.2010

समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/
अधिशासी अभियन्ता
पिटकुल, ... ।

विषयः पिटकुल में अवर अभियन्ता, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के पुनरीक्षित समयबद्ध वेतनमान लागू किये जाने के पश्चात् उत्पन्न वेतन विसंगति विषयक।

कृपया आपके संज्ञान में लाना है कि पिटकुल में अवर अभियन्ता, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के समयबद्ध वेतनमान कार्यालय ज्ञाप सं0 क्रमशः 2440/प्र0नि0/पिटकुल/सी-1 दिनांक 18.12.2007, 2441/प्र0नि0/पिटकुल/सी-1 दिनांक 18.12.2007 तथा 2439/प्र0नि0/पिटकुल/सी-1 दिनांक 18.12.2007 के द्वारा क्रमशः दिनांक 14.02.2007, 22.06.2005 तथा 22.08.2007 से पुनरीक्षित किये गये थे।

पुनरीक्षित वेतनमान लागू किये जाने के पश्चात् संगठनों द्वारा समय-समय पर वेतन विसंगति की बात कहते हुए इन पुनरीक्षित वेतनमान को दिनांक 01.01.1996 से लागू किये जाने की माँग की गई थी जिसे शासन को संदर्भित किया गया था। शासन स्तर पर उत्तराखण्ड विद्युत अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के साथ हुई वार्ता के दौरान यह सहमति बनी थी कि उपरोक्त तृतीय समयबद्ध वेतनमान के उच्चीकृत किये जाने से उत्पन्न वेतन विसंगति के Case to Case प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। इसके अनुक्रम में शासन ने पत्र सं. 1170/I(2)/2010-05/110/2010 दिनांक 14.06.2010 के द्वारा इस विषय में वेतन विसंगतियों के सभी प्रकरणों के सम्बन्ध में सूचना चाही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ कर्मचारियों के सम्बन्ध में उपरोक्त पुनरीक्षित वेतनमान लागू किये जाने के उपरान्त उत्पन्न हुई वेतन विसंगति का कोई भी प्रकरण वर्तमान में लम्बित है तो उसकी पूर्ण सूचना अविलम्ब इस कार्यालय को वित्त विभाग, कारपोरेट कार्यालय से विदिक्षा करवाकर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। अगर आपके कार्यालय में उपरोक्त के सम्बन्ध में यदि कोई प्रकरण नहीं है तो **शून्य सूचना** से भी इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

यह सूचना विलम्बत इस पत्र के निर्गत होने के 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

पुनरीक्षित समयबद्ध वेतनमान के सम्बन्ध में पिटकुल द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप तथा शासन से प्राप्त हुये पत्र की प्रतिलिपि आपके सुलभ संदर्भ हेतु इस पत्र के साथ संलग्न है।

संलग्नकः यथोपरि।

(एस0के0 शर्मा)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून।
2. निदेशक (मा0सं0), पिटकुल, देहरादून।
3. निदेशक (वित्त), पिटकुल, देहरादून।
4. अधिशासी निदेशक (परियोजना), पिटकुल, ऊर्जा भवन परिसर,, देहरादून।
5. मुख्य महाप्रबन्धक (परि0एवंअनु0), पिटकुल, 650, कांवली रोड, देहरादून।
6. वरिष्ठ प्रबन्धक (मा0सं0), पिटकुल, देहरादून।
7. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी, पिटकुल, देहरादून।
8. अधिशासी अभियन्ता सूचना प्रौद्योगिकी, पिटकुल, देहरादून-कृपया इस पत्र को संलग्नों सहित पिटकुल की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(एस0के0 शर्मा)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

प्रेषक, संख्या 1170/I(2)/2010-05/110/2010

नितेश कुमार झा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1- प्रबंध निदेशक,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,
देहरादून।

2- प्रबंध निदेशक,
पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन आफ उत्तराखण्ड लि0, देहरादून।

3- प्रबंध निदेशक,
उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग-2, देहरादून दिनॉक 14 जून 2010

विषय :- पुनरीक्षित समयमान वेतनमान दिनॉक 1-1-2006 से स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में उत्तराखण्ड विद्युत अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के मॉग पत्र के बिन्दु-2, जिसमें पूर्व उच्चीकृत समयमान वेतनमान की स्वीकृति दिनॉक 1-1-1996 से किये जाने की मॉग है पर दिनॉक 11-3-2010 एवं 13-3-2010 को सचिव ऊर्जा की अध्यक्षता में निगम प्रबंधन एवं समन्वय समिति के साथ हुई वार्ता में वर्णित बिन्दु हुई सहमति के आधार पर तृतीय समयबद्ध वेतनमान के उच्चीकृत किये जाने से उत्पन्न वेतन विसंगति के Case t0 Case प्रकरण प्रस्तुत किये जांय।

2- अतः उक्त पत्र के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तृतीय समयबद्ध वेतनमान के उच्चीकृत किये जाने से उत्पन्न वेतन विसंगति के Case t0 Case प्रकरण यथा आवश्यक सूचनाओं एवं विभागीय आख्या/संस्तुति के साथ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नितेश कुमार झा)
अपर सचिव

Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
PTCUL
POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARANCHAL LIMITED
Tel: 0135-2762473,2762472
Fax : 0135-2762460
Email : md.ptcul@rediffmail.com

पत्रांक: 2439/प्र0नि0/पिटकुल/सी–1

दिनांक : 18/12/2007

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन, ऊर्जा अनुभाग–2 के पृष्ठांकित आदेश संख्या 1869/I(2)/2007–06(3)/72/2003 दिनांक 06 नवम्बर, 2007 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित आदेश निर्गत किये जाते हैं :–

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 566–काविनी–29/2007–4पी/टीसी–प्रथम दिनॉक 22.08.2007 के अनुरूप वेतनमान रू0 3050–4590 में सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों को 19 वर्ष की अनवरत सेवा पूर्ण किये जाने पर वर्तमान में अनुमन्य तृतीय समयबद्ध वेतनमान रू0 4200–6400 के स्थान पर रू0 4500–7500 दिनांक 22.08.2007 से अनुमन्य होगा।

उपरोक्त उच्चीकृत तृतीय समयबद्ध वेतनमान निर्धारण के फलस्वरूप इस आदेश के निर्गमन से पूर्व का कोई अवशेष देय नहीं होगा। भविष्य में नियुक्त कार्मिकों पर तृतीय समयबद्ध वेतनमान की उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक.........2439........./प्र0नि0/पिटकुल/सी–1 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अपर सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
4. अधिशासी निदेशक (वित्त), पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
5. समस्त महाप्रबन्धक (परि0 एवं अनु0/परियोजना), पिटकुल।
6. उपमहाप्रबन्धक (वित्त/कं0स0), पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
7. समस्त उपमहाप्रबन्धक(परि0 एवं अनु0/परियोजना), पिटकुल।
8. प्रबन्धक (मा0 सं0), पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता (परि0 एवं अनु0/परियोजना), पिटकुल।
10. का0 ज्ञा0 पत्रावली/कट फाईल।

(एस.के. शर्मा)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

PTCUL
POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARANCHAL LIMITED

Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

Tel: 0135-2762473,2762472
Fax : 0135-2762460
Email : md.ptcul@rediffmail.com

पत्रांक: 2440 / प्र0नि0 / पिटकुल / सी–1

दिनांक : 18 / 12 / 2007

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन, ऊर्जा अनुभाग–2 के आदेश संख्या 1869 / I(2) / 2007–06(3) / 72 / 2003 दिनांक 06 नवम्बर, 2007 के द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुपालन में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या 91–काविनी / पाकालि–29 / 07–4–काविनी / 94 दिनांक 14.02.2007 के अनुरूप एतदद्वारा निम्न आदेश निर्गत किये जाते हैं :–

1. उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सब आर्डिनेट इलेक्ट्रिकल एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर सर्विस रेगुलेशन्स 1972 में उल्लिखित अवर अभियन्ता (सलेक्शन ग्रेड) का पद दिनांक 14.02.2007 से समाप्त किया जाता है। संगत विनियमावली / विनियमावलियों में यथा आवश्यक संशोधन की कार्यवाही अलग से की जायेगी।
2. अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) के पद पर सीधी भर्ती की नियुक्ति की तिथि से गणना करते हुये उन्हें निम्नलिखित समयबद्ध वेतनमान दिनांक 14.02.2007 से अनुमन्य किये जाते हैं:–

(i)	प्रथम समयबद्ध वेतनमान (9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर)	रू0 8550–13500 (सहायक अभियन्ता पद का वेतनमान)
(ii)	द्वितीय समयबद्ध वेतनमान (14 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर)	रू0 10650–15200 (अधिशासी अभियन्ता पद का वेतनमान)
(iii)	तृतीय समयबद्ध वेतनमान (19 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर)	रू0 14300–18300 (अधिशासी अभियन्ता (सलेक्शन ग्रेड) पद का वेतनमान)

अवर अभियन्ताओं को समयबद्ध वेतनमान की अनुमन्यता विषयक परिषदाज्ञा संख्या 965पी / राविप तीस–4 पी / 1986 दिनांक 19.06.1989 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या 251वे0प्र0–30 / राविप / 98–3वे0प्र0 / 98 दिनांक 06.08.1998 (प्रस्तर एक बिन्दु–9) एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 618–काविनी / राविप–29 / 98–29–पी–89 दिनांक 29.09.1998 में निहित प्राविधानों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। उनमें उल्लिखित अन्य प्राविधान एवं शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

उपरोक्त उच्चीकृत समयबद्ध वेतनमानों के निर्धारण के फलस्वरूप इस आदेश के निर्गमन से पूर्व का कोई अवशेष देय नहीं होगा। भविष्य में नियुक्त अवर अभियन्ताओं पर तृतीय समयबद्ध वेतनमान की उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 2440 / प्र0नि0 / पिटकुल / सी–1 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अपर सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
4. अधिशासी निदेशक (वित्त), पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
5. समस्त महाप्रबन्धक (परि0 एवं अनु0 / परियोजना), पिटकुल।
6. उपमहाप्रबन्धक (वित्त / कं0स0), पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
7. समस्त उपमहाप्रबन्धक(परि0 एवं अनु0 / परियोजना), पिटकुल।
8. प्रबन्धक (मा0 सं0), पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता (परि0 एवं अनु0 / परियोजना), पिटकुल।
10. का0 ज्ञा0 पत्रावली / कट फाईल।

(एस.के. शर्मा)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

PTCUL
POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARANCHAL LIMITED

Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

Tel: 0135-2762473,2762472
Fax : 0135-2762460
Email : md.ptcul@rediffmail.com

पत्रांकः 2441 / प्र0नि0 / पिटकुल / सी–1 दिनांक : 18 / 12 / 2007

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन, ऊर्जा अनुभाग–2 के पृष्ठांकित आदेश संख्या 1869 / I(2) / 2007–06(3) / 72 / 2003 दिनांक 06 नवम्बर, 2007 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित आदेश निर्गत किये जाते हैं :–

1. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 508–काविनी / पाकालि–29–2006–4(IV)पी / 86–टीसी दिनांक 11.09.2006 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 724–काविनी / पाकालि–29–2006–4(IV)पी / 86–टीसी दिनांक 20.11.2006 के अनुरूप वेतनमान रू0 4200–6400, रू0 4500–7500 एवं रू0 5300–8600 में नियुक्त समस्त कार्मिकों को 19 वर्ष की अनवरत सेवा पूर्ण किये जाने पर तृतीय समयबद्ध वेतनमान रू0 6500–11000 के स्थान पर रू0 8550–13500 दिनाँक 22.06.2005 से अनुमन्य होगा।

उपरोक्त उच्चीकृत तृतीय समयबद्ध वेतनमान निर्धारण के फलस्वरूप इस आदेश के निर्गमन से पूर्व का कोई अवशेष देय नहीं होगा। भविष्य में नियुक्त कार्मिकों पर तृतीय समयबद्ध वेतनमान की उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 2451 / प्र0नि0 / पिटकुल / सी–1 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अपर सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
4. अधिशासी निदेशक (वित्त), पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
5. समस्त महाप्रबन्धक (परि0 एवं अनु0 / परियोजना), पिटकुल।
6. उपमहाप्रबन्धक (वित्त / कं0स0), पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
7. समस्त उपमहाप्रबन्धक(परि0 एवं अनु0 / परियोजना), पिटकुल।
8. प्रबन्धक (मा0 सं0), पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता (परि0 एवं अनु0 / परियोजना), पिटकुल।
10. का0 ज्ञा0 पत्रावली / कट फाईल।

(एस.के. शर्मा)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)